"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 417] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर 2013—भाद्र 25, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-50/1-10/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सचिवालय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

3-क. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्याय संगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

2. अनुसूची के सरल क्रमांक 6 के कॉलम (12) में शब्द "मंत्री" के पश्चात् "संसदीय सचिव, उपाध्यक्ष सरगुजा एवं उत्तर बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाए तथा शब्द "भृत्यों" के स्थान पर शब्द "कर्मचारियों" प्रतिस्थापित किया जाए.

3. अनुसूची के सरल क्रमांक 6 कॉलम (7) में शब्द "सा. उम्मीदवार के लिए 18 से 30 वर्ष, अनु. जाति/अनु.ज.जा. के लिए 18 से 35 वर्ष" के पूर्व, कोष्टक एवं अंक "(1)" अंत:स्थापित किया जाये. अनुसूची के सरल क्रमांक 6 कॉलम (7) की प्रविष्टि (1) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(2)" वर्तमान में कार्यरत सचिवालय आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले तथा को टर्मिनस कर्मचारी के लिए, उनके द्वारा विभिन्न अवधियों में की गई सेवा अवधियों की सीमा तक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी :

परन्तु किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.